

**:: सम्पत्तिकर विवरणी फार्म ::**

नमूना

**भाग-1 : करदाता और सम्पत्ति का विवरण**

रेट जोन/वार्ड क्रमांक : .....

कर निर्धारण वर्ष : .....

1. सम्पत्ति स्वामी : ..... पिता/पति .....
2. पता : भवन/फ्लैट क्रमांक ..... प्लॉट का क्षेत्रफल ..... वर्गमीटर, मोहल्ला/कॉलोनी .....
3. सम्पत्ति आईडी (I.D.) क्रमांक ..... निर्माण का प्रकार: ..... पक्का/आंशिक पक्का/कच्चा

**भाग-2 : करयोग्य सम्पत्ति मूल्य की दरें :**

रेट जोन क्रमांक ..... के लिये कर योग्य सम्पत्ति मूल्य की दरें:  
(कलेक्टर गाइड लाइन्स के अनुसार)

लागू दर: रु./वर्गमीटर

आवासीय भवन			वाणिज्यिक भवन			बहुप्रयोजन भवन		रिक्त भूखण्ड/प्लॉट		
पक्का	आंशिक पक्का	कच्चा	दुकानें	कार्यालय	गोदाम	आवासीय	वाणिज्यिक	आवासीय	वाणिज्यिक	औद्योगिक

**भाग-3: निर्मित क्षेत्र और उसका करयोग्य सम्पत्ति मूल्य:  
(आवासीय भवनों तथा प्लॉट्स के लिये)**

क्रं.	मंजिल	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मी.)	कर योग्य सम्पत्ति मूल्य (क्षेत्रफल X करयोग्य सम्पत्ति मूल्य की लागू दर) (रुपये)		योग (रुपये)
			आवासीय		
			स्वयं उपयोग	किराये पर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	तल मंजिल (Ground Floor) (1) पक्का (2) आंशिक पक्का/ कच्चा भवन				
2	प्रथम मंजिल तथा तलघर (Basement)				
3	द्वितीय मंजिल एवं उसके ऊपर की मंजिलें				
4	योग				
5	भवन के रख-रखाव के लिये छूट (10%) (-)	---			
6	अन्य छूट* (-) (धारा 136 न.नि./127ए न.पा. के अन्तर्गत, यदि देय हो)	---			
7	छूट के पश्चात योग अर्थात् शुद्ध करयोग्य सम्पत्ति मूल्य				

(1) करयोग्य सम्पत्ति मूल्य रु. .... पर  
'सम्पत्तिकर' की लागू दर (नगरपालिका द्वारा यथानिर्धारित स्लैब्स के अनुसार) : .....%

(2) देय सम्पत्तिकर :

(राशि-रुपये में)

संपत्ति का उपयोग	करयोग्य स.मूल्य [भाग 3 के कालम क्रमांक 7 से ]	सकल संपत्तिकर [(2) x लागू दर]	आवासीय भवन स्वयं के उपयोग में होने पर छूट [(3) का 50%]	देय संपत्तिकर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आवासीय : स्वयं उपयोग				
आवासीय : किराये पर				
<b>योग</b>				
<b>देय सम्पत्ति कर</b>				

**भाग-5: देय अन्य कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अधिभार**

- (1) **सामान्य समेकित कर**  
(नगर पालिका द्वारा यथा निर्धारित) रुपये .....
- (2) सम्पत्तिकर दाताओं द्वारा देय अतिरिक्त समेकित कर :  
(देय सम्पत्तिकर का वह प्रतिशत जो नगरपालिका निर्धारित करे) [ .....% ] रुपये .....
- (3) सम्पत्तिकर दाताओं द्वारा देय अतिरिक्त जल उपभोक्ता प्रभार :  
(देय सम्पत्तिकर का वह प्रतिशत जो नगरपालिका निर्धारित करे) [ .....% ] रुपये .....
- (4) **नगरीय विकास उपकर :**  
(i) स्वयं के अधिभोग वाले भाग के लिये (शुद्ध करयोग्य स. मूल्य का-1%) रुपये .....
- (ii) अन्यथा उपभोग वाले भाग के लिये (शुद्ध करयोग्य स. मूल्य का-2%) रुपये .....
- (5) **शिक्षा उपकर :**  
(करयोग्य स. मूल्य का वह प्रतिशत जो नगरपालिका निर्धारित करे) ( .....% ) रुपये .....
- कुल योग रुपये .....
- (6) निर्धारित तारीख तक भुगतान करने पर छूट  
(सम्पत्तिकर का वह प्रतिशत जो 6.25 प्रतिशत की सीमा के भीतर जो नगर पालिका द्वारा निर्धारित करे) (-) रुपये .....
- योग रुपये .....
- (7) निर्धारित तारीख तक भुगतान न किये जाने पर अधिभार (सरचार्ज) :  
(सम्पत्तिकर का वह प्रतिशत जो नगरपालिका निर्धारित करे) ( .....% ) (+) रुपये .....
- योग : रुपये .....
- (8) कुल देय राशि: सम्पत्ति कर+अन्य कर एवं प्रभार = \_\_\_\_\_ रुपये .....
- (रु.....+ रु.....)
- शब्दों में रुपये \_\_\_\_\_

**सत्यापन**

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि विवरणी में दी गई जानकारी सही है:-

स्थान: \_\_\_\_\_

(भूमि/भवन स्वामी के हस्ताक्षर) .....

दिनांक: \_\_\_\_\_

नाम : \_\_\_\_\_

मोबाईल नम्बर : \_\_\_\_\_

- नोट: (1) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात सम्पूर्ण देय राशि पर .....प्रतिशत के दर से ब्याज विलम्ब शुल्क देय होगा।  
(2) अतिरिक्त जल उपभोक्ता प्रभार, घरों में प्रदाय किये जाने वाले पानी के लिये लिये जाने वाले मासिक चार्ज या प्रभार के अतिरिक्त है।